



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/04/2021-758

प्रेषक,

अमय कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 22/06/2026

विषय— श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत भादस मौजा के खाता संख्या-1008, खेसरा संख्या-3586, थाना अलौली में चातर चौक-संतोष ब्रिज पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/117859/2020, दिनांक 25.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक— 1350, दिनांक— 16.06.2026 द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक— FP/BR/Others/117859/2020, दिनांक 25.03.2026 में निहित कंडिका	अनुपालन
i.	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
ii.	Planting of 100 trees with iron gabion plantation shall be carried out by the State Government at the cost of the Project within two years from the date of grant of Stage-II approval. Details of planting along with KML file shall be submitted along with Stage-I compliance report;	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 701773.00 (रु० सात लाख एक हजार सात सौ तेहत्तर) मात्र की राशि को Account No. 15062199117859684, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, में RTGS/NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 12.05.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. PUNBR52026051240406628 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

iii.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation as per the approved CA Scheme	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1032 दिनांक 07.05.2026 द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर मांग की गयी क्षतिपूरक वनीकरण की राशि को कैम्पा लेखा में जमा कराया गया है।
iv.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.024 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.024 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 22,987.00 (बाईस हजार नौ सौ सतासी रुपये मात्र) को Account No. 15062199117859684, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 12.05.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. PUNBR52026051240406628 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
v.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
vi.	The compensatory levies to be realized from the User Agency under the project shall be transferred/deposited, through e-challan, in to the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 12.05.2026 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
vii.	The State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
viii.	The complete compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
ix.	The KML files of proposed area for diversion and planting of 100 trees shall be uploaded on the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय को करना है।
x.	The User Agency shall pay the five(5) times penal NPV for the extent of violation done plus 12 percent	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि Penal NPV के मद में मेरे द्वारा वन प्रमंडल, बेगूसराय के पत्रांक 1032 दिनांक 07.05.2026 के माध्यम से 0.024 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये मांग की गयी कुल राशि रु० 1,28,726/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, Bihar CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 12.05.2026 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. PUNBR52026051240406628 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
xi.	The Ministry has issued guidelines dated 21.01.2026 prescribing penal compensatory afforestation in cases where forest land has been used in violation	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि Penal CA (क्षतिपूरक वनीकरण) मद में मेरे द्वारा वन प्रमंडल, बेगूसराय के पत्रांक 1032 दिनांक 07.05.2026 के माध्यम से 0.024 हे० अपयोजित होने वाली

		वन भूमि के लिये मांग की गयी कुल राशि रु० 45,973/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, Bihar CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 12.05.2026 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. PUNBR52026051240406628 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
xii.	Penal compensatory afforestation proposed by the State Government shall be verified by Regional Office, Ranchi	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जायेगा।
xiii.	Action under section 3A/3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जायेगा।
xiv.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees indentified to be felled	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xv.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xvi.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xvii.	No labour camp shall be established on the forest land and no work shall be allowed	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xviii.	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xix.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xx.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxi.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxii.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxiv.	No damage to the flora, fauna or the environment of the adjoining area shall	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxv.	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxvi.	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxvii.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

xxviii.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxix.	The user agency shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxx.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि वन (संरक्षण), अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage- II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अभय कुमार)

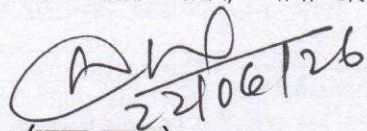
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापक- FC/04/2021-758 दिनांक- 22/06/2026

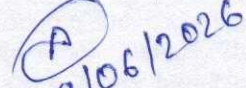
प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय एवं श्री राजेश कुमार, पिता-श्री प्रमोद सिंह, ग्राम+पो० RK चातर, थाना-अलौली, जिला-खगड़िया, पिन-851204 को सूचना हेतु प्रेषित।


(अभय कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।


19/06/2026

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Khagaria/ Begusarai Forest Division, Begusarai.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Rajesh Kumar / HPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.024 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	25.03.2026				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	7,01,773/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	22,987/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-	PUNBR52026051240406628	22,987/-	NPV
		2	challan	dt. 12.05.2026	7,01,773/-	CA
		Total-			7,24,760/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India on dt. 12.05.2026				
12	Any other remarks					

(Abhay Kumar)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.